प्रयोजनार्थ भू आवंटन [illegible] निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत पत्रावली को पंजीबद्ध करने से पूर्व परीक्षण किया गया। बाद परीक्षण पाया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम धुंवाला (क) की आवंटित आराजी संख्या 4031 / 3392 रकबा 0.2529 हैक्ट. किस्म बंजड अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड होने से, अप्रार्थी उक्त जायदाद को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो सकता हैं। जिससे मौके पर कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना को मध्येनजर रखते हुये विपक्षीं को आगामी तारीख पेशी तक अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता हैं कि, ग्राम धुंवाला (क) की आवंटित आराजी संख्या 4031 / 3392 रकबा 0.2529 हैक्ट. किस्म बंजड भूमि को रहन विक्रय बक्षीस नही करे व न ही करावें तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तहसीलदार करेडा / उप पंजीयक करेडा को तहरीर मय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश की प्रति जारी की जावे। प्रकरण पंजीबद्ध करें। विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी करें। प्रकरण तलबी हेतु दिनांक 07.01.2026 को पेश हो।

12.12.25

अति0 जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

07-1-26 पत्रावली पेश हुई। राजकीय पक्ष उप०। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा पूर्व प्रेषित अधिकार पत्र शामिल पत्रावली होकर उप०। पत्रावली विपक्षी के जवाब हेतु 21-1-26 को पेश हो।

7.1.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

15/01/26 माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के पत्रावली तलबी पत्र के क्रम में यह पत्रावली सिगाह से तलब की गई। मान. राजस्व मण्डल राज. अजमेर के निर्देशानुसार यह पत्रावली मान. न्यायालय को मूल ही प्रेषित की जावे। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार भविष्य में कार्यवाही की जाएगी। तब तक पत्रावली नंबर से कम करें।

15.1.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा